तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज मनीषा देवी. बनाम लो.सू.अधिकारी (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ.अपील सं0 145/2023 (ऑनलाईन नं. 353175120236432)	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
24.08.23	अपीलार्थी मनीषादेवी निवासी गोपजी साउ की ढाणी, खोखरिया, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 05.05.23. में उसके द्वारा (1) तीसरा, दूसरा और पहला ग्रेड शिक्षक बनने के लिए पात्रता मानदंड क्या है, सभी नियम और कानूनों की कॉपी प्रदान करने व अन्य बिन्दुओं, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (कलक्टर कर्यालय जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 885 दिनांक 27.07.23 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि प्रार्थीया मनीषा द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय से संबंधित न होकर शिक्षा विभाग जोधपुर से संबंधित होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 6(3) के तहत लोक सूचना अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, मुख्यालय जोधपुर) को कार्यालय के पत्रांक 549 दिनांक 09.05.23 द्वारा अंतरित कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने हेतु लिखा गया था जिसकी प्रति प्रार्थी को भी पृष्ठांकित की गई। चूंकि लोक सूचना अधिकारी द्वारा विधिक प्रकिया के तहत प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र लोक सूचना अधिकारी (जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा मुख्यालय जोधपुर) स्थानान्तरित किया जा चुका है तथा शिक्षा विभाग के लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध प्रथम अपीलीय अधिकारी जिला कलक्टर जोधपुर नहीं होने से अपील निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया। (हिमांशु गुप्ता) जिला कलक्टर जोधपुर जिला कलक्टर, जोधपुर (राज.)	